सर्तकता आयोग में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 11–04–2018 का कार्यवृत्त

दिनांक 11–04–2019 को अपरान्ह् 03:00 बजे मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक माननीय अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे–

1–श्री देवेन्द्र चौधरी	–	अध्यक्ष
2–श्री प्रदीप कुमार कंसल	–	सदस्य
3–श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	–	सचिव
4–विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारीगण – (सूची संलग्न)		

मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक की कार्यवाही सभी पदाधिकारियों एवं मुख्य सतर्कता अधिकारियों के आगमन के पश्चात अभिवादन एवं स्वागत अभिभाषण के साथ प्रारम्भ की गई।

1– सर्वप्रथम इस बैठक के उद्देश्य एवं मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्यो तथा दायित्वों पर प्रकाश डाला गया गया। उन्हें अवगत कराया गया कि भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ करने में सबसे महत्वपूर्ण भुमिका मुख्य सतर्कता अधिकारियों की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 724/39–4–2016–42(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उस विभाग का पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है इसके अतिरिक्त समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों /सार्वजनिक उपकमों/निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मण्डल/जनपद स्तर पर आयुक्तों/जिलाधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है। शासनादेशो में सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संयुक्त सचिव या सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को निर्देश दिये गये एवं उनसे वांछित सहयोग की अपेक्षा की गई। भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं उसके प्रसार को रोकना सभी विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों की जिम्मेदारी बताई गई।

2– जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु समस्त प्रशासकीय विभागों को शासनादेश द्वारा अपने–अपने विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये थे। अतः यह जानकारी प्राप्त की गई कि किन विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किये गये हैं। जिन विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी को नामित नही किया गया है उन्हें यह हिदायत दी गई कि एक सप्ताह के अन्दर मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी नामित कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग एव प्रतिलिपि सचिव, सतर्कता आयोग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके लिये मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध कराये गये जिसके अन्तर्गत सम्बंधित विभाग अपने विभाग में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नं0, ई0–मेल आई0डी0, आवास एवं कार्यालय का पता आदि सभी सूचनायें/विवरण अपने विभागों के प्रमुख सचिव तथा सतर्कता आयोग के सचिव को उपलब्ध करायेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम एवं सहकारी समितियों ने बताया कि उनके विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी /सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य विभागों ने शीघ्र ही मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी नामित करने का आश्वासन दिया। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित कर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन के सतर्कता विभाग/सतर्कता आयोग को उपलब्ध करा दें।

3– मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने विभाग में इकाई के नोडल अधिकारी की तरह कार्य करेंगे। जांच में दोषी पाये गये जिन प्रकरणों में अभियोजन की संस्तुति की गई हो उसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी का दायित्व होगा कि अभियोजन की विधिक पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके प्रभावी ढंग से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा जो भी अभिलेख मांगे जायें उन्हें समय के अन्दर उपलब्ध कराने में मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार जांच एजेन्सियों से समन्वय स्थापित करके समय के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने में अपना योगदान देंगे।

4– मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। विभाग की प्रचलित प्रक्रिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर उन कारणों को पता करना जिससे भ्रष्टाचार की संभावनायें बढ़ती हों उनका निवारण करना जिससे कदाचार, विलम्ब व जनता का उत्पीड़न होता है। अपने विभाग के उन संवेदनशील बिन्दुओं पर नजर रखना जहां भ्रष्टाचार अथवा विलम्ब की सम्भावना हो। जांचों के संबंध में अभिलेख समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना । कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के प्रकरणों में विधिक पूर्व स्वीकृति निर्गत कराना आदि कर्तव्यों/दायित्वों पर विवेचना की गई एवं मुख्य सतर्कता अधिकारियों से अपने कर्तव्यों व शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा की गई।

5– अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि जनता को स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु यह प्रयास किया जा रहा है और यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। किन्तु इसके अपेक्षित परिणाम सामने नही आ रहे है। अतः इसमे मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6– अध्यक्ष महोदय ने **शासनादेश संख्या 724/39–4–2016–42–(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016** के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया।

7– समस्त सतर्कता कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु **3 महत्वपूर्ण बिन्दुओं** पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये : –

(i) –सभी विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी /सतर्कता अधिकारी नामित कर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सतर्कता विभाग एवं सतर्कता आयोग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ii) – सभी विभाग/विभागीय सतर्कता अधिकारी अपने विभागों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध लम्बित जांच कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप सं0–1, 1–क, 2, 3, 4, 5 ,5–क एवं 6 उपलब्ध कराये गये जिस पर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को लम्बित विभागीय कार्यवाही की सूचना पूर्ण विवरण के साथ– कितने प्रकरण लम्बित है एवं कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा जो प्रकरण लम्बित हैं उनके लम्बित रहने का क्या कारण है आदि दो सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। त्वरित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सतर्कता आयोग की ई–मेल आई0डी0 **(vigilancecommissionlko@gmail.com)** पर सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा सूचना दी जायेगी।

(iii) –सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को कार्यालय के प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर 4x4 फुट का सूचना पट बनाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी का नाम, फोन नं0 व पता (कक्ष संख्या –)अंकित होगा ताकि जनता भ्रष्टाचार सम्बंधी किसी भी शिकायत हेतु नामित अधिकारी से सम्पर्क कर सके। इसी प्रकार का सूचना पट सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों, कार्यालयों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाया जाना प्रस्तावित किया गया जिसका सक्षम स्तर पर कियान्वयन कर उसकी सूचना सचिव सतर्कता आयोग को एक सप्ताह में लिखित सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया।

8– अध्यक्ष महोदय ने जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने व विभागीय सतर्कता का सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपने विभागों में क्या निर्धारित प्रकिया अपनाई जा रही है, उनके द्वारा क्या कार्य व प्रावधान लागू किये गये है तथा उसके क्या बेहतर परिणाम सामने आये हैं, उसका विवरण सतर्कता आयोग को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। विभागों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति एवं उपयोगी सुझावों को आयोग को प्रेषित करने का उद्देश्य यह होगा कि उन्हे अन्य सभी विभाग अपना कर अपने कार्यों में दक्षता ला सके। इस प्रकार आने वाले समय में विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ एवं प्रशासन को पारदर्शी, स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकेगा।

9– बैठक के अन्त में सभी अधिकारीगणों को धन्यवाद प्रस्ताव एवं आभार व्यक्त करने के साथ ही अध्यक्ष महोदय ने बैठक के समापन की घोषणा की।

17/04/18

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
सचिव।